S. No.	Zone/Div/ Post	Brief of Good Work	Name of the Staff	Remark if any
1.	उ0प0रे0 बीकानेर / हिसार	दिनाक 03.02.19 को उप निरी0 रवि कुमार रेसुब पोस्ट हिसार को दौराने गस्त पीएफ न0 03 हिसार स्टेशन पर एक व्यक्ति के चोर चोर का भाोर मचाने पर दो व्यक्तियो को भागते हुए को रोका। बाद उसी समय जीआरपी हिसार उपनिरीक्षक जयकरण उ0 नि0 रामकुवार सउनि0 राधेश्याम भी मौके पर आये। तथा उसी समय शिकायतकर्ता भी मौके पर आ गया। जिसने अपना नाम मनोज कुमार पुत्र श्री मुसाफिर यादव उम्र 25 वर्श जाति यादव निवासी गांव एफिया नासीपुर जिला मुज्जफरपुर बिहार बताया साथ ही बताया कि पकडे गये दोनो व्यक्ति उसका पर्स जिसमें 1500 रूपये तथा आधार कार्ड था छिनकर भाग रहे थे। पकड़े गए दोनो लडको की तलाशी लेने पर भयामलाल पुत्र श्री रामदेव उम्र 24 वर्श जाति यादव निवासी गांव बिसनपूर कला पुलिस थाना आटा जिला गोंडा उतरप्रदेश के पास शिकायतकर्ता द्वारा बतायेनुसार पर्स मिला। तथा भयामलाल का साथी रोशन पुत्र श्री जयशंकर उम्र 22 जाति राजपुत निवासी गांव चचराहा पुलिस थाना पोशापटटी जिला मधुबनी बिहार ने शिकायत कर्ता से पर्स छिनकर अपने साथी भयामलाल को भागते समय पकडा दिया था। रेसुब द्वारा पकड़े गए दोनो आरोपियो को जीआरपी हिसार द्वारा गिरफतार कर दोनो के खिलाफ मुअस0 08/19 अर्न्तगत धारा 379 व 34 आईपीसी दिनाक 03.02.19 को दर्ज किया।	उप निरी0 रवि कुमार	
2.	उ0प0रे0 बीकानेर / बीकानेर	दिनांक 23.02.19 को सवारी गाड़ी सं0 12458 में ड्यूटीरत रेसुब एस्कोर्ट पार्टी को एक व्यक्ति पवन कुमार पुत्र चम्पालाल निवासी–भरकड़ा तह0–नोखा, जिला बीकानेर को संदिग्ध अवस्था मे उक्त गाड़ी के कोच न0 एस–4 मे यात्री सामान चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ कर रेसुब चौकी चुरू के मार्फत जीआरपी का सुपुर्द किया गया। घटना के सम्बन्ध में रारेपु रतनगढ द्वारा परिवादी महिला यात्री से मोबाईल पर सम्पर्क चोरी के सामान तथा शिकायत पत्र के बारे में पूछे जाने पर सामान चोरी नहीं होने के कारण शिकायत दर्ज करवाने से मना कर दिया। जिस पर जी0आर0पी0 द्वारा घटना के सम्बन्ध में 151 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गयी।	है0का0 राधेश्याम है0का0 भगवान सिंह का0 मदन लाल का0 मोहन दास	